

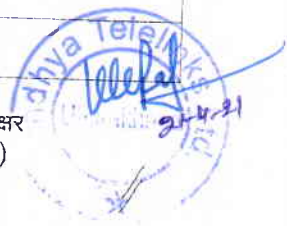
**फार्म "क"**  
राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म  
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

| क.स. | विवरण                                                                                                                                                                                                                                    | क्रियान्वयन                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | परियोजना विवरण :-<br>क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।                                                                                                                                              | जनपद के विकास खण्ड में RoW permission for laying Optical Fiber Cable from ..... (Total Length 60.9 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0:60:9 है वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु। |
|      | ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।                                                                                                                                                   | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ग) परियोजना की लागत।                                                                                                                                                                                                                     | रु० .....लाख                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।                                                                                                                                                                                       | दूरसंचार सेवा प्रदान करना।                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)                                                                                                                                                                                          | लागू नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      | च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।                                                                                                                                                                                                 | प्रस्तावित परियोजना के निर्माण के दौरान स्थानीय कुल /अकुल श्रमिकों को रोजगार मिलेगा।                                                                                                                                                                       |
| 2.   | कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:-                                                                                                                                                                                                 | 0:60:9 है वन भूमि                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.   | परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हैं                                                                                                                                                                                    | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | क)परिवारों की संख्या                                                                                                                                                                                                                     | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ख)अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या                                                                                                                                                                                             | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | ग)पुनर्वास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)                                                                                                                                                                                               | शून्य                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4.   | क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? (हां/नहीं)                                                                                                                                                           | हाँ                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5.   | प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या वण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये) | भारत सरकार /उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु लगायी जाने वाली समस्त शर्तों का पालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।                                                                                                                      |
| 6.   | निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।                                                                                                                                                                | संलग्न है।                                                                                                                                                                                                                                                 |

दिनांक.....  
स्थान.....

प्रयोक्ता एजेन्सी के हस्ताक्षर  
नाम ( )



मोहर  
प्रस्ताव की कम संख्या.....  
साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाएगा)

(प्राप्ति की तारीख के

## भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

|        |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.     | परियोजना स्कीम का स्थान                                                                                                                                                                                              | प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या .....<br>पद जनपद <u>पिथौरागढ़</u> के विकास खण्ड <u>डीडीहाट</u> में RoW permission for laying Optical Fiber Cable <u>कनालीडीना - धारचूला</u> from <u>(सोगला - अस्कोट - नारायण नगर - धारचूला)</u><br>.....(Total Length <u>60.9</u> Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि <u>0.609</u> है वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali (Punjab) को वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिये जाने का प्रस्ताव। |
| (i)    | राज्य / संघ शासित क्षेत्र                                                                                                                                                                                            | उत्तराखण्ड राज्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (ii)   | ज़िला                                                                                                                                                                                                                | <u>पिथौरागढ़</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| (iii)  | वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                            | <u>पिथौरागढ़</u> वन प्रभाग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (iv)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)                                                                                                                                                     | <u>0.609</u> हैक्टर वन भूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| (v)    | वन की कानूनी स्थिति                                                                                                                                                                                                  | <u>0.034</u> हैक्टर, आरक्षित वन<br><u>0.334</u> हैक्टर सिविल सोयम भूमि<br><u>0.241</u> हैक्टर पंचायत वन भूमि<br>..... हैक्टर नापभूमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (vi)   | हरियाली का घनत्व                                                                                                                                                                                                     | 0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (vii)  | प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)              | प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष बाधित/प्रभावित होने निहित नहीं है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (viii) | भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी                                                                                                                                                        | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (ix)   | वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी                                                                                                                                                   | प्रस्तावित/चयनित कार्य स्थल सिविल एवं सोयम वन के अन्तर्गत है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (x)    | क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर, आदि का भाग है। (यदि हां, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)                        | नहीं। इस बावत प्रस्तावक/कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - ..... पर चस्पा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (xi)   | क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।                                                                                       | नहीं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| (xii)  | क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें। | नहीं। इस बावत प्रस्तावक / कार्यदायी संस्था एवं राजस्व विभाग द्वारा प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - ..... पर चस्पा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.     | प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरों                                                           | इस बावत प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं0 - ..... पर चस्पा है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.    | क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हां/नहीं) यदि हां, तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्रवाई सहित कार्य का ब्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं। | नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.   | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा                                                                                                                                                                | अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से 1.3 पर चस्पा है।                                                                                                                                                                         |
| (i)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।                                               | चूंकि अपेक्षित वन भूमि की मांग 1.00 है० से कम है। अतः प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है।                                                                                                                                                                 |
| (ii)  | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।                                                                                          | प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़ी भूमि पर उचित वृक्षारोपण हेतु चयनित स्थल को 1:50000 पैमाने के टोपोग्राफिक मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया है। तथा स्थलीय / लोकेशन मानचित्र प्राक्कलन के साथ संलग्न है।                                                                                                                                                 |
| (iii) | रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि।                                                                              | प्रजातियाँ:- जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियाँ।<br>कार्यान्वयन एजेंसी:- स्वयं वन विभाग।<br>समय:- उच्च स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर।<br>लागत:- प्रस्तावित निर्माण कार्य के बदले प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु रु० ..... (रु० ..... मात्र) का प्राक्कलन प्रस्ताव के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... से ..... पर चस्पा है। |
| (iv)  | प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिचय।                                                                                                                                                | हेतु रु० ..... (रु० ..... मात्र)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (v)   | प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)           | प्राक्कलन एवं मानचित्र प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11.   | उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, गपए गपपद्धए 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)                                                            | फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारियों, फील्ड स्टाफ, राजस्व एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षरित करके के संलग्नक पृष्ठ सं० - ..... पर चस्पा है।                                                                                                                                                                                  |
| 12.   | विभाग/जिला प्रोफाइल                                                                                                                                                                             | वन प्रभाग/जिला - ..... पिचौरागढ़                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (i)   | जिले का भौगोलिक क्षेत्र                                                                                                                                                                         | 308800 वर्ग कि०मी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (ii)  | जिले का वन क्षेत्र                                                                                                                                                                              | 211691 वर्ग कि०मी०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (iii) | मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र                                                                                                                          | कुल मामलों की संख्या 469 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल 6333.92 है० वन क्षेत्र है० है। इसमें आरक्षित वन क्षेत्र 4308.09 है० है।                                                                                                                                                                                                                        |
| (iv)  | 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण<br>(क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि :-<br>(ख) वनेतर भूमि पर:-                                                           | (क) 4308.09 हैक्टेयर<br>(ख) 768.59 हैक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (v)   | अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति:-<br>(क) वन भूमि पर<br>(ख) वनेतर भूमि पर                                                                                                                  | (क) 4308.09 है० जिले के अंतर्गत क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जा चुका है।<br>(ख) 768.59 हैक्टेयर                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13.   | प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश                                                                                               | प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रज्जगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावक/ कार्यदायी संस्था के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।                                                    |

दिनांक: - 2021  
स्थान:- 2017।

हस्ताक्षर  
नाम:-  
सरकारी मुहर